



पत्रांक : 1737 / फा0सं0-499 / एच0ओ0डी0 / DSMNRU / 2022-23

दिनांक: 13 सितम्बर, 2022

// कार्यालय-आदेश //

विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली, 2009 के अध्याय-5 की धारा-5.10 से 5.13 में कुलानुशासक की नियुक्ति के सम्बन्ध में दी गई व्यवस्थानुसार परिसर में अनुशासन व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से डॉ० विनोद कुमार सिंह, प्रोफेसर (अंग्रेजी) एवं अधिष्ठाता, कला एवं संगीत संकाय को कुलानुशासक के पद से अवमुक्त करते हुए डॉ० शेफाली यादव, आचार्य (विधि) को अग्रिम आदेशों तक के लिए उक्त पद पर नियुक्त किया जाता है।

उपरोक्तानुसार कुलानुशासक के पद पर नामित डॉ० शेफाली यादव, आचार्य (विधि) को नियमानुसार अनुमन्य भत्ता देय होगा। यह कार्यालय आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(डॉ० अमित कुमार राय)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा० कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
3. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
4. परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
5. कुलानुशासक, विश्वविद्यालय।
6. सम्बन्धित शिक्षकवृन्द, विश्वविद्यालय।
7. सिस्टम एनालिस्ट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. समस्त अधिकारीगण।
9. सम्बन्धित की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
10. विश्वविद्यालय के समस्त नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(डॉ० अमित कुमार राय)
कुलसचिव